मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 1: संरचना और गठन

अवधि: 23:47 मिनट

बाल संरक्षण ई लर्निंग मॉड्यूल के मॉड्यूल 4 में आप सभी का स्वागत है। इस मॉड्यूल के अन्त में आप बता पाएंगे कि:

- किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या है तथा इसका गठन कैसे होता है ?
- किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया क्या है ?
- किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या हैं ?

आईए इस सत्र की शुरूआत चिली के शिक्षक और मानवतावादी गैब्रिएल मिस्ट्रेल के विचारोत्तेजक शब्दों से करें

''हम बहुत सारी गलतियों और त्रुटियों के लिए दोषी हैं, किन्तु हमारा सबसे बड़ा अपराध है बच्चों को त्याग देना, जीवन रूपी फव्वारे की उपेक्षा करना। हम जो चाहते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्तजार कर सकती हैं, किन्तु बच्चा नहीं। यही वह समय है जब उसकी हड्डियाँ अपना आकार ले रही हैं, उसका रक्त विकसित हो रहा है। उसे हम यह उत्तर नहीं दे सकते कि 'कल', उसका नाम 'आज' है।''

इस प्रकार किशोर न्याय बोर्ड बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने, उनकी देखभाल तथा संरक्षण प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सत्र–एक दृष्टि में

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्यों के निष्पादन करने तथा इससे जुड़ें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम जिला स्तर पर एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। इस मॉड्यूल में इस बात पर विस्तार से चर्चा है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन कैसे होता है और जब कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करने का आरोपित होकर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया

जाता है तब से लेकर मामलों के निष्पादन तक किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका क्या है। इस मॉड्यूल में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में लाए गए ऐसे मुख्य बदलावों पर भी प्रकाश डाला गया है जो बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की श्रेणी और ऐसे मामलों में कार्यवाही के प्रावधानों से संबंधित है।

आईए अब किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और इसमें लाए गए संशोधनों का, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक छोटा सा वीडियो देखें।

जैसा कि हमने वीडियो में देखा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में लाए गए संशोधन कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों पर असर डालते हैं। किशोर न्याय अधिनियम "बच्चों और नव युवाओं को द्वितीयक निवारण, पुनर्वास और बेहतर सामाजिकीकरण के लिए विशेषज्ञता पूर्ण एवं निवारक उपचारात्मक सेवाएं'' प्रदान करने हेतु एक प्रमुख कानून है।

किशोर न्याय बोर्ड के बारे में और जानने से पहले, आईए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की परिभाषा को पुनः देखें और यह भी देखें कि इससे जुड़ी हुई शंकाएं क्या हैं।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 उपधारा 13 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा वह है जिसने कोई अपराध किया है या इसके लिए आरोपित है और अपराध कारित करने के दिन जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो'।

किसी व्यक्ति पर किशोर न्याय अधिनियम लागू होने के लिए संबंधित तिथि वह है जिस दिन अपराध किया गया था। कभी–कभी ऐसे मामलों में काफी भ्रम उत्पन्न हो जाता है जब कोई व्यक्ति आपराधिक घटना के समय बच्चा था किन्तु बाद में वयस्क हो गया।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 ऐसी स्थितियों से संबन्धित है जहां:

1. जाँच की अवधि के दौरान बच्चा 18 वर्ष पूरे कर लेता है और
2. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ऐसा अपराध करने के आरोप में जब अपराध करने के दौरान वह 18 वर्ष से कम उम्र का था।

कानून पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो स्थितियाँ दी गई हैं उनमें व्यक्ति को बच्चा समझकर ही कार्यवाही की जानी चाहिए और जो आदेश पारित किया जाएगा वह यह मानकर किया जाएगा कि वह व्यक्ति अभी भी बच्चा है, भले ही वह वयस्क हो चुका है।

इसके अतिरिक्त इस बात पर भी भ्रम उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति या बच्चा जो हिरासत में लिये जाने के समय या जाँच के दौरान 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है उसे किस संस्थान में रखा जाना चाहिए।

किशोर न्याय अधिनियम इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, ऐसा व्यक्ति या बच्चा जो 18 वर्ष पूरे होने के बाद हिरासत में लिया गया हो, उनके लिए राज्य सरकार को राज्य में कम से कम एक 'सुरक्षित स्थान' (Place of Safety) स्थापित करना चाहिए जो धारा 41 के तहत पंजीकृत हो और जहाँ ऐसे व्यक्तियों को रखा जा सके।

16 से 18 वर्ष की उम्र का कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जो जघन्य अपराध करने का आरोपित है या दोषी है उसे भी 'सुरक्षा के स्थान' में रखा जाना चाहिए।